–::कार्यालय आदेश::–

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 1196/XLI–A/20–54/2020 दिनांक 11/12/2020 के अनुपालन में संस्था में अध्ययनरत इलैक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र–छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि संस्था में अध्यापन कार्य दिनांक 15–12–2020 से कोविड–19 से बचाव एवं सुरक्षा के साथ संचालित किया जाएगा तथा छात्र–छात्राओं को संस्था में उपस्थित होने से पूर्व एवं बाद में निम्नवत् बिन्दुओं का पालन करना अनिवार्य होगा–

- समस्त छात्र–छात्राओं को संस्था में उपस्थित होने से पूर्व अपने अभिभावकों से लिखित अनुमति (संलग्न प्रारुप में हस्तलिखित/प्रिंटआउट) प्राप्त कर अपने कक्षाध्यापकों को जमा करानी अनिवार्य होगी।
- समस्त छात्र–छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि संस्था में प्रवेश व छुट्टी के उपरांत कही भी भीड़ लगाकर खड़े नही होंगे एवं सामाजिक दूरी (06 फीट की दूरी) का पालन करेंगे।
- संस्था में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनर द्वारा समस्त छात्र–छात्राओं के शरीर का तापमान चैक किया जाएगा जिसके उपरांत ही कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति होगी।
- समस्त छात्र–छात्राओं को मास्क पहनकर संस्था में उपस्थित होना एवं अपने साथ पीने के पानी की बोतल/सेनेटाईजर की छोटी बोतल लेकर आना अनिवार्य होगा। कक्षाओं में प्रवेश से पूर्व समस्त छात्र–छात्राओं को सेनेटाईजेशन के उपरांत ही कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा जिसका प्रबन्ध संस्था द्वारा किया जाएगा।
- उत्तराखण्ड राज्य से बाहर निवासित समस्त छात्र–छात्राओं को कोरोना की नेगेटिव रिर्पोट लेकर संस्था में उपस्थित होना होगा।
- कक्ष–कक्षाओं के अंदर एवं आस–पास थूकना वर्जित है अगर किसी भी छात्र–छात्रा को थूकते हुए पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाऐगी जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया छात्र–छात्रा की होगी।
- द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं का संचालन दो पालियों में किया जाएगा, प्रथम हाफ में द्वितीय वर्ष (इलैक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल) तथा द्वितीय हाफ में तृतीय वर्ष (इलैक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल) का संचालन अग्रिम आदेशों तक किया जाएगा।

(किरन मेहरा बगडवाल)
कृते प्रधानाचार्य

कार्यालय प्रधानाचार्य शहीद मेजर कमलेश पाण्डे राजकीय पॉलीटेक्निक बाड़ेछीना (अल्मोड़ा)।

पृ0सं0 383-384/छा0निर्देश/रा0पा0बाड़ेछीना/2020–21 दिनांक 14/12/2020

प्रतिलिपी–1 समस्त कक्षाध्यापकों को इस निर्देश के साथ कि वह उक्त आदेश को छात्र–छात्राओं के मध्य Whats app एवं अन्य ऑनलाईन माध्यमों से प्रसारित करना सुनिश्चित करें।

2– श्री शुभम सिंह (कनि0सहा0/छात्रलिपिक) को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को संस्था की आधिकारिक वेबसाईट एवं फेसबुक पेज के माध्यम से प्रसारित करना सुनिश्चित करें।

3– संस्था नोटिस बोर्ड।

Kiran

(किरन मेहरा बगडवाल)
कृते प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
बाड़ेछीना (अल्मोड़ा)